सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-25.03.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, स०वि०स०	"पूरे बिहार में प्रशासनिक संस्थान के विघटित होने का मामला वर्षो से लंबित है । इसी क्रम में सिवान जिला अन्तर्गत पचलखी पंचायत का विकास कार्य-सिवान सदर प्रखंड से होता है तथा राजस्व का कार्य अंचल कार्यालय मैरवां से होता है, जबकि पचलखी से सिवान की दूरी 08 किलोमीटर तथा पचलखी से मैरवां की दूरी लगभग 20-22 कि0मी0 है । सरकार द्वारा दो वर्षो पूर्व निर्णय लिया गया था कि पचलखी पंचायत को मैरवां अंचल से हटा कर सिवान अंचल में कर दिया जायेगा, परन्तु इसकी सूचना अभी जारी नहीं किया गया है। पूर्व में भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई । अतः उक्त पचलखी पंचायत को मैरवां अंचल से हटा कर सिवान अंचल में कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।"	राजस्व एंव भूमि सुधार

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री प्रणव कुमार, स०वि०स० श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स० श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स०	''मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक रूप से कमजोर साहित्यकारों को उनकी अप्रकाशित रचना के प्रकाशन हेतु पांडुलिपि प्रकाशन योजना के तहत अनुदान दी जाती है । अनुदान में अनियमितता की जाती है, जिसके कारण योग्य पात्र को अनुदान की राशि प्राप्त नहीं हो पाता है तथा मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 15 अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दी जाती है । अनियमितता के कारण योग्य साहित्यकार को पुरस्कार नहीं मिल पाता है । अतः उक्त दोनों मामलों की जाँच हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।''	मंत्रिमंडल सचिवालय

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-15/25- 193 /वि०स०, पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 24.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-15/25- 193 /वि०स०, पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 24.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-15/25- 193 /वि०स०, पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 24.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-15/25- 193 /वि०स०, पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 24.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
24.03.2025